न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ राज.

बइजलास – श्री सन्तोष कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 09/2022/अपील

उनवान

1. महेश कुमार पाटीदार पि. दुर्गालाल जाति कुल्मी नि. सरोनिया तहसील पिडावा

— अपीलांटस

बनाम

1. जाकिर हुसैन पि. नन्नाभाई जाति मुसलमान नि. भवानीमण्डी जिला झालावाड
2. मोहम्मद हुसैन पि. जमील हुसैन जाति मुसलमान नि. भवानीमण्डी जिला झालावाड
3. नसीम चौधरी पि. जहूर अहमद जाति मुसलमान नि. भवानीमण्डी जिला झालावाड
4. सरपंच ग्राम पंचायत ओडियाखेडी पंचायत समिति पिडावा मु0सुनेल

— रेस्पोडेन्टस

अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 05.08.2015 नामा.सं. 525 एवं आदेश दिनांक 20.07.2019 नामा.सं. 616 ग्राम पंचायत ओडियाखेडी

उपस्थित :– वकील अपीलांटस – श्री सुभाष दांगी

वकील रेस्पोडेन्टस – श्री कालूराम मेघवाल

Signature Not Verified

Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.10.04 11:04:47 IST
Reason: SelfAttested

आदेश दिनांक : 28/09/2022

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस ने ग्राम पंचायत ओडियाखेडी द्वारा निर्णित नामा.सं. 525 दिनांक 05.08.2015 एवं नामा.सं. 616 दिनांक 20.07.2019 के विरूद्ध अपील पेश कर निवेदन किया कि ग्राम राजपुरा प0म0मायाखेडी की आराजी ख.नं. 52 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा में से 1 बिस्वा भूमि रोड से लगवा 23 फीट चौडाई की भूमि रेस्पोडेन्टस सं. 1 लगायत 3 से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा केता मुकेश कुमार , सुनील कुमार पिस. मनोहरलाल नि. सरोनिया ने खरीद कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया है परन्तु उक्त विकय पत्र में ततसमय लिपिकीय त्रुटि वश ख.नं. 52 के बजाय रेस्पोडेन्टस के खाते का दूसरा ख.नं. 51 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा अंकित हो गया जिससे अपीलांटस द्वारा खरीद की गई भूमि

(सन्तोष कुमार मीना,
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ COURT 2022

ख.नं. 52 के बजाय ख.नं. 51 में नामा.सं. 525 से खातेदारी दर्ज हो गई इसलिये नामा.सं. 525 गलत दर्ज होने से निरस्त योग्य है।

इस प्रकार गलत ख.नं. का अंकन होने से मुकेश कुमार , सुनील कुमार पिसर मनोहरलाल पि. सरोनिया के नाम गलत भूमि दर्ज हो गयी। ततपश्चात इन विक्रेतागण से अपीलांट द्वारा भूमि कय की गई जिसमें भी गलत ख.नं. दर्ज हुआ एवं नामा.सं. 616 दिनांक 20.07.2019 को तस्दीक हुआ। अपीलांट द्वारा ख.नं. 52 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा में से 1 बिस्वा भूमि रोड से लगवा 23 फीट चौडाई की भूमि कय की थी परन्तु रजिस्टर्ड बयनामा व नामा. सं. 525 व 616 में गलत इन्द्राज होने से अपीलांट अपनी वास्तविक खरीद भूमि अपने नाम दर्ज कराने से वंचित रह गया।

इस बात की जानकारी होने पर अपीलांटस ने रेस्पोडेन्टस से शुद्धि पत्र ग्राम राजपुरा के ख.नं. 51 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा के स्थान पर वास्तविक रूप से बेचान किया गया ख.नं. 52 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा का पढा जाने का दिनांक 11.11.2019 को पंजीयन करवाया जिसका वर्तमान ख.नं. 312/308 रकबा 0.8853 हेक्टर है। जिस कारण लिपिकीय त्रुटि से ख.नं. 51 के संबंध में खोला गया नामा.सं. 537 निरस्त किया जाकर शुद्धि पत्र पंजीयन अनुसार ख.नं. 52 वर्तमान ख.नं. 312/308 रकबा 0.8853 हेक्टर में से 0.0126 हेक्टर भूमि अपीलांटस के खाते दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत ओडियाखेडी का आदेश त्रुटिपूर्ण विधि विरूद्ध प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर कय आराजी का कब्जे की जांच किये बिना नामान्तरण सं. 525 व 616 तस्दीक किया। अपीलांटस द्वारा बेचान पत्र दिनांक 02.01.2015 में कय भूमि सुनेल पिडावा रोड से लगवा होना अंकित किया परन्तु ख.नं. 51 का गलत अंकन हो गया। ख.नं. 51 की भूमि रोड से लगवा नहीं होकर पीछे की ओर है।

अपीलांटस द्वारा हल्का पटवारी को शुद्धि पत्र पंजीयन के आधार पर नामान्तरण दर्ज करवाने की कही परन्तु उन्होने गलत नामान्तरण को निरस्त करवाये बिना शुद्धि पत्र पंजीयन के आधार पर नामान्तरण दर्ज किये जाने में असमर्थता जाहिर की।

अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर आदेश ग्राम पंचायत ओडियाखेडी का आदेश नामा.सं. 525 दिनांक 05.08.2015 एवं नामा.सं. 616 दिनांक

COURT 2022

(संतोष कुमार मीना,)
उपखण्ड अधिकारी
पिडावा जिला झालावाड

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड

Signature Not Verified

Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.10.04 11:04:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

20.07.2019 खारीज कर ग्राम राजपुरा की आराजी ख.नं. 52 वर्तमान ख.नं. 312/308 रकबा 0.8853 हेक्टर में से 0.0126 हेक्टर भूमि रोड से लगी हुई 23 फीट चौडाई की शुद्धि पत्र अनुसार अपीलांटस के पक्ष में नामान्तरण दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे। अपील के साथ ग्राम राजपुरा के नामा.सं. 525 व 616 , जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 147 , 166 की नकल , खसरा गिरदावरी नकल ,नक्शा ट्रेस नकल , शुद्धि पत्र दि. 11.11.2019 , बेचान पत्र दि. 02.01.2015 व दि. 19.06.2019 की प्रति पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 4 की ओर से एडवोकेट श्री कालूराम मेघवाल ने वकालामनामा पेश कर स्वीकारात्मक जवाब पेश किया। अपीलांटस की ओर से मुकेश कुमार , सुनील कुमार पिस. मनोहरलाल नि. सरोनिया का शपथ पत्र व आधार कार्ड की प्रति पेश की।

वकील उभयपक्ष बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया कि ग्राम राजपुरा प0म0मायाखेडी की आराजी ख.नं. 52 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा में से 1 बिस्वा भूमि रोड से लगवा 23 फीट चौडाई की भूमि अपीलांटस द्वारा मुकेश कुमार , सुनील कुमार पिस. मनोहरलाल नि. सरोनिया से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया है परन्तु उक्त विक्रय पत्र में ततसमय लिपिकीय त्रुटि वश ख. नं. 52 के बजाय रेस्पोडेन्टस के खाते का दूसरा ख.नं. 51 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा अंकित हो गया जिससे अपीलांटस द्वारा खरीद की गई भूमि ख.नं. 52 के बजाय ख. नं. 51 में नामा.सं. 525 एवं नामा.सं. 616 से खातेदारी दर्ज हो गई। अपीलांटस द्वारा उक्त गलती को शुद्ध करवाने हेतु दिनांक 11.11.2019 को शुद्धि पत्र का पंजीयन करवाया। वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार ख.नं. 52 का नया नं. 312/308 रकबा 0. 8853 हेक्टर है जिसमें से अपीलांटस द्वारा कय की गई एवं शुद्धि पत्र अनुसार सुनेल पिडावा रोड से लगी हुई 0.0126 हेक्टर भूमि कय की है। इस प्रकार रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 02.01.2015 , दि. 19.06.2019 में खसरा नं. लिखने की लिपिकीय त्रुटि होने से विक्रेता खातेदार की अन्य भूमि केता खातेदार के नाम नामा.सं. 525 एवं नामा.सं. 616 से दर्ज हो गई जो कि सही नहीं है।

(सन्तोष कुमार मीना),
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.10.04 11:04:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner